



THE PLASTICS EXPORT
PROMOTION COUNCIL

दि प्लास्टिक एक्सपोर्ट प्रमोशन कौन्सिल

(भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग द्वारा प्रायोजित)

THE PLASTICS EXPORT PROMOTION COUNCIL

(Sponsored By The Ministry Of Commerce & Industry, Deptt. Of Commerce, Government Of India)

संदर्भ: प्लेक्स/सर्क/168

दिनांक: 16 मई 2026

को

प्लेक्सकौन्सिल के सभी सदस्य / सीओए सदस्य

प्रिय महोदय/महोदया,

विषय: सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 143 एए के तहत जारी परिपत्रों की वैधता का विस्तार, होर्मुज जलडमरूमध्य के कारण समुद्री मार्गों में चल रही बाधाओं से उत्पन्न चुनौतियों को कम करने के लिए।

संदर्भ: सीबीआईसी परिपत्र संख्या 25/2026 दिनांक 14 मई 2026

उपर्युक्त परिपत्र सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 143एए के तहत जारी परिपत्रों की वैधता बढ़ाने के संबंध में **दिनांक 4 मई 2026 के परिपत्र संख्या 22/2026-सीमा शुल्क** को संदर्भित करता है, जिसका उद्देश्य होर्मुज जलडमरूमध्य के बंद होने के कारण समुद्री मार्गों में चल रही बाधाओं से उत्पन्न चुनौतियों को कम करना है।

निम्नलिखित परिपत्रों की वैधता **30 जून 2026 तक बढ़ा दी गई है।**

1. परिपत्र संख्या 09/2026-सीमा शुल्क दिनांक 08.03.2026

विषय: होर्मुज जलडमरूमध्य के बंद होने के कारण अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र से निर्यात माल की वापसी - सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 143एए।

2. परिपत्र संख्या 10/2026-सीमा शुल्क दिनांक 10.03.2026

विषय: निर्यात दस्तावेजों में संशोधन/रद्दीकरण के लिए शुल्क में छूट।

3. परिपत्र संख्या 12/2026-सीमा शुल्क दिनांक 17.03.2026

विषय: होर्मुज जलडमरूमध्य के बंद होने के कारण अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र से निर्यात माल की वापसी - सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 143एए।

4. परिपत्र संख्या 15/2026-सीमा शुल्क दिनांक 27.03.2026

विषय: होर्मुज जलडमरूमध्य के बंद होने के कारण समुद्री मार्गों में व्यवधान के मद्देनजर सभी बंदरगाहों/हवाई अड्डों से एफसीएल/एलसीएल कार्गो का अंतरराष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट - सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 143एए।

5. परिपत्र संख्या 19/2026-सीमा शुल्क दिनांक 10.04.2026

विषय: होर्मुज जलडमरूमध्य के बंद होने के कारण समुद्री मार्गों में व्यवधान के मद्देनजर विशेष आर्थिक क्षेत्रों से उत्पन्न निर्यात माल को संभालने की प्रक्रिया - सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 143एए।

6. परिपत्र संख्या 21/2026-सीमा शुल्क दिनांक 15.04.2026

विषय: होर्मुज जलडमरूमध्य के बंद होने के कारण समुद्री मार्गों में व्यवधान के मद्देनजर, विदेशी बंदरगाहों पर उतारे गए और बाद में भारत को लौटाए गए निर्यात कार्गो कंटेनरों को संभालने की प्रक्रिया - सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 143ए।

उक्त परिपत्रों में निर्धारित अन्य सभी सुविधाएं, नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे मूल परिपत्र को यहां

देखें: https://membership.plasticsepc.org/mails_images/20260515113625.pdf

संलग्न: परिपत्र संख्या 22/2026-सीमा शुल्क दिनांक 4 मई 2026 : https://membership.plasticsepc.org/mails_images/20260505121644.pdf

यह सूचना के लिए है।

धन्यवाद

भारती परवे

उप निदेशक (व्यापार एवं नीति)

प्लेक्सकॉन्सिल